

(देखिये नियम 34 तथा 36)

नाम निर्देशन का प्रारूप

मैं _____ पुत्र/पुत्री/श्री _____
जो राज्य बीमा विभाग, राजस्थान पॉलिसी प्रमाण-पत्र संख्या _____ के अधीन बीमाकृत व्यक्ति हूँ,
इसके द्वारा:—

(1) पूर्व में मेरे द्वारा मेरे, मेरी _____
(नाम निर्देशित से आपके संबंध का उल्लेख कीजिये)
श्री/श्रीमती _____ आयु _____ वर्ष के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन
रद्द करता/करती हूँ।

(2) मेरे/मेरी _____ श्री/श्रीमती/कुमारी _____
(नाम निर्देशित से आपके सम्बन्ध का उल्लेख कीजिए)
आयु _____ वर्ष को अपना नाम निर्देशित नियुक्त करता/करती हूँ।

(3) श्री श्रीमती _____ जो _____
(नाम निर्देशित से अभिभावक के संबंध का उल्लेख कीजिए)
के नाम निर्देशित के बचस्क होने तक उसका अभिभावक नियुक्त करता/करती हूँ।

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक _____

स्थान _____

उच्चाधिकारी के हस्ताक्षर तथा
उसके पद नाम को मुहर

(राजपत्रित अधिकारी होने को दया में उसके हस्ताक्षर किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये
जाने चाहिये)

टिप्पणी :— जो लागू न हो उसे काट दें

बीमाकृत व्यक्ति के पति/पत्नी/पुत्री/पुत्र/माता/बहिन, पिता या माता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बीमा निदेशक
की पूर्ण स्वीकृति के बिना नाम निर्देशित नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।